कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में कुंटिया की प्रधानगी को लेकर घमासान, कार्यालय में हुआ हंगामा

कुरूक्षेत्र (दैनिक हाक): कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय नॉन-टीचिंग कर्मचारी संघ (कुंटिया) की प्रधानगी को लेकर चल रहा विवाद गुरुवार को उस समय खुल कर सामने आ गया, जब दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए। कुंटिया कार्यालय में प्रधान पद को लेकर हुए विवाद के दौरान जम कर हंगामा हुआ, जिसके बाद पुलिस और विश्वविद्यालय का सुरक्षा स्टाफ मौके पर पहुंचा। जानकारी के अनुसार गुरुवार सुबह नीलकंठ शर्मा अपने समर्थक कर्मचारियों के साथ कुंटिया कार्यालय पहुंचे और प्रधान की कुर्सी पर बैठ गए। इसकी सूचना मिलते ही रजवंत कौर भी कार्यालय पहुंचीं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रजवंत कौर ने नीलकंठ शर्मा को कुर्सी से उठाने का प्रयास किया, जिससे दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई और माहौल तनावपूर्ण बन गया। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस और विश्वविद्यालय का सुरक्षा स्टाफ मौके पर पहुंचा। पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराया और आपसी सहमति से विवाद सुलझाने का प्रयास किया। किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। गौरतलब है कि कुंटिया की प्रधानगी को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। कार्यकाल समाप्त होने के बाद नॉन-टीचिंग कर्मचारियों का एक वर्ग चुनाव कराने की मांग कर रहा था। चुनाव नहीं होने पर गत माह नीलकंठ शर्मा गुट ने बैठक कर अपनी नई कार्यकारिणी का गठन किया, जिसमें नीलकंठ शर्मा को प्रधान, जुगा लाल को वरिष्ठ उपप्रधान, नरेश कुमार नरसी को उपप्रधान, वकील चंद रंगा को महासचिव, जोगी राम को सह सचिव, संजय यादव को प्रेस सचिव तथा अर्जुन सिंह को कोषाध्यक्ष घोषित किया गया। वहीं दूसरी ओर, रजवंत कौर गुट ने भी बैठक आयोजित कर रिक्त पदों पर अस्थायी समायोजन के तहत नई जिम्मेदारियां सौंपीं। इसमें जगदीश खनोदा को महासचिव, विनोद कुमार को सह सचिव, डॉ. सतीश कुमार को प्रेस सचिव, चंद्रपाल को वरिष्ठ उपप्रधान, राकेश कुमार को उपप्रधान तथा विकास कांटीवाल को कोषाध्यक्ष बनाया गया। रजवंत कौर का कहना है कि पिछले साल फरवरी में कुंटिया के चुनाव हुए थे। इसमें उसको 435 वोट मिले थे। उन्होंने प्रतिद्वंदी नीलकंठ शर्मा को 21 वोटों से हराया था। नीलकंठ शर्मा को 414 वोट मिले, जबकि रामकुमार गुर्जर 322 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। प्रधान पद के लिए कुल 1241 में से 1185 मत पड़े थे, जिनमें से 14 मत रद्द हुए। ये पहला मौका था जब किसी महिला को कुंटिया की प्रधान का पद मिला था। उधर, नीलकंठ शर्मा ने बताया कि उनको पिछले महीने 3 जून को सर्वसम्मति से कुंटिया का प्रधान चुना गया था।

आरोप लगाया कि रजवंत की टर्म पूरी हो चुकी थीं। आज वे अचानक आईं और जबरदस्ती कुर्सी से खींचने की कोशिश की।

दोनों पक्ष की तरफ से आई शिकायत

केयूके थाना के एसएचओ सुरेंद्र कुमार ने बताया कि रजवंत कौर गुट स्वयं को निर्वाचित पदाधिकारी बता कर अपना दावा कर रहे हैं, जबकि नीलकंठ गुट के समर्थक उनके प्रधान होने की बात कह रहे हैं। दोनों पक्ष के बीच कुंटिया की प्रधानगी को लेकर विवाद हुआ था। दोनों की तरफ शिकायत भी आई है। पुलिस ने दोनों पक्ष को शांत कर दिया है। अभी मामले की जांच चल रही है।

स्वच्छता को जनआंदोलन बनाना हम सभी की साझा जिम्मेदारी

शाहबाद मारकण्डा (दैनिक हाक): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हरियाणा आगमन के अवसर पर प्रदेशभर में चलाए जा रहे %स्वच्छता ही स्वागत% अभियान के तहत वीरवार को शाहाबाद के हॉकी स्टेडियम के बाहर विशेष स्वच्छता अभियान आयोजित किया गया। अभियान का शुभारंभ हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के चेयरमैन सुभाष कलसाना ने किया। इस दौरान जनप्रतिनिधियों, भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने स्वयं सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया। सुभाष कलसाना ने कहा कि स्वच्छता किसी एक दिन का कार्यक्रम नहीं, बल्कि समाज के प्रति हमारी निरंतर जिम्मेदारी है। शहर की पहचान केवल विकास कार्यों से नहीं, बल्कि उसकी साफ-सफाई और अनुशासन से भी होती है। उन्होंने कहा कि जब हर नागरिक सार्वजनिक स्थानों को भी अपना समझकर स्वच्छ रखेगा, तभी स्वच्छ और सुंदर भारत का सपना साकार होगा। उन्होंने 17 जुलाई को जींद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाने तथा थानेसर एलिवेटेड रेलवे ट्रैक और उमरी स्थित सिख संग्रहालय के वर्चुअल उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने का भी न्योता दिया। पार्षद ईशु सचदेवा ने कहा कि स्वच्छ वातावरण आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे बड़ी सौगात है। पार्षद प्रतिनिधि अमित गुप्ता ने स्वच्छता को पूरे समाज का सामूहिक दायित्व बताया, जबकि पार्षद दीपक आनंद ने कहा कि साफ-सुथरे सार्वजनिक स्थल शहर की सकारात्मक पहचान बनाते हैं। अभियान के दौरान हॉकी स्टेडियम के बाहर व आसपास के क्षेत्र में सफाई कर लोगों से सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी न फैलाने की अपील की गई।

इस अवसर पर प्रिंसिपल लक्ष्मी प्रसाद शास्त्री, मंडल अध्यक्ष सुपार्श्व जैन, कमित सचदेवा व अभिषेक छाबड़ा सहित गणमान्यजन और शहरवासी मौजूद रहे।

नवीन कृषि संकल्प अभियान के तहत 21 जुलाई को किसान संवाद, अन्न भंडारण पर देंगे विशेषज्ञ जानकारी

शाहबाद मारकण्डा (दैनिक हाक): सांसद नवीन जिंदल के मार्गदर्शन में किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ने के उद्देश्य से चलाए जा रहे 'नवीन कृषि संकल्प अभियान' का पांचवां कार्यक्रम 21 जुलाई को प्रातः 9ः3० बजे लाडवा रोड स्थित देवी मंदिर तालाब धर्मशाला में आयोजित होगा। कार्यक्रम में किसानों को फसल के वैज्ञानिक भंडारण, प्राकृतिक खेती, जल एवं पर्यावरण संरक्षण, फसल विविधीकरण तथा कृषि क्षेत्र की नई संभावनाओं पर विशेषज्ञ जानकारी देंगे। साथ ही केंद्र और हरियाणा सरकार की किसान हितैषी योजनाओं की भी विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी। हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक के चेयरमैन सुभाष कलसाना ने बताया कि सांसद नवीन जिंदल का उद्देश्य किसानों को उत्पादन के साथ-साथ फसल संरक्षण और सुरक्षित अन्न भंडारण के आधुनिक तरीकों से जोड़ना है, ताकि उपज का नुकसान कम हो, बेहतर मूल्य मिले और खेती अधिक लाभकारी बन सके। उन्होंने कहा कि इसी सोच को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए नवीन कृषि संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने किसानों से 21 जुलाई को आयोजित किसान संवाद में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर कार्यक्रम का लाभ उठाने की अपील की। इस अवसर पर पूर्व नगर पालिका प्रधान बलदेव राज चावला, बलदेव राज सेठी, मंडल अध्यक्ष सुपार्श्व जैन, सर्वजीत सिंह, रवि कुमार, यादविंदर राणा, पूर्व सरपंच नैब सिंह, तिलक राज नलवी, बरखाराम खेड़ा, मान सिंह, सांसद कार्यालय प्रतिनिधि अजैब सिंह, कार्यक्रम अधिकारी ईशान पांडे, श्याम रावत, महामंत्री जतिन पोपली तथा पूर्व सरपंच मांगेराम शर्मा सहित अन्य मौजूद रहे।

आम सभा में आय-व्यय रिपोर्ट सर्वसम्मति से पारित, विकास कार्यों को भी मिली मंजूरी

कुरूक्षेत्र (दैनिक हाक): प्रजापति (कुम्हार) धर्मशाला सभा, कुरुक्षेत्र की आम सभा की बैठक गुरुवार को प्रजापति धर्मशाला, किरमिच रोड, कुरुक्षेत्र में प्रधान पवन कुमार की अध्यक्षता में शांतिपूर्वक संपन्न हुई। बैठक में 1 अप्रैल 2०25 से 31 मार्च 2०26 तक की आय-व्यय रिपोर्ट सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत की गई। सभा के सदस्यों ने रिपोर्ट को ध्यानपूर्वक सुनने के बाद सर्वसम्मति से पारित कर दिया।

इस दौरान सभा द्वारा संचालित शिक्षण संस्थान में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की गई तथा विभिन्न विकास प्रस्तावों को भी सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई। इसके अलावा संस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर चर्चा हुई, जिन्हें उपस्थित सदस्यों ने ध्वनिमत और हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया। बैठक में सभा के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और संस्था के विकास एवं भविष्य की योजनाओं पर अपने सुझाव भी रखे। महासचिव ने सभी सदस्यों का बैठक में सहयोग और सहभागिता के लिए आभार व्यक्त किया।

स्काउट्स एवं गाइड्स ने पौधारोपण कर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश

कुरूक्षेत्र (दैनिक हाक): राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, ईशाक में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय की स्काउट्स एवं गाइड्स इकाई के छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए विद्यालय परिसर में विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए तथा उनके संरक्षण का संकल्प लिया। इस अवसर पर विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉ. कृष्ण कुमार ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण प्रत्येक नागरिक का नैतिक दायित्व है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कम से कम एक पौधा लगाकर उसकी नियमित देखभाल करे, तो आने वाली पीढ़ियों को स्व'छ एवं हरित वातावरण उपलब्ध कराया जा सकता है। उन्होंने विद्यार्थियों से पौधारोपण को जन-आंदोलन बनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने पौधों की नियमित देखभाल करने तथा अधिक से अधिक लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करने का संकल्प लिया। विद्यालय परिवार ने इस अभियान को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण एवं प्रेरणादायी पहल बताया।

मिड-डे मील वर्कर्स 18 जुलाई को ताज पार्क में करेंगे जिला स्तरीय प्रदर्शन, 4 अगस्त के महापड़ाव का सौंपेंगे नोटिस

कुरूक्षेत्र (दैनिक हाक): मिड-डे मील वर्कर्स यूनियन हरियाणा ने अपनी लंबित मांगों को लेकर आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है। यूनियन के राज्य कमेटी सदस्य एवं जिला सचिव अनिल कुमार ने बताया कि 18 जुलाई को दोपहर 1 बजे ताज पार्क, कुरुक्षेत्र में जिला स्तरीय प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान प्रशासन को 4 अगस्त को कुरुक्षेत्र में प्रस्तावित राज्य स्तरीय हड़ताल एवं महापड़ाव का औपचारिक नोटिस भी सौंपा जाएगा। अनिल कुमार ने आरोप लगाया कि सरकार लंबे समय से मिड-डे मील वर्कर्स की जायज मांगों की अनदेखी कर रही है। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई के दौर में मात्र 7 हजार रुपये मासिक मानदेय पर कार्यरत महिलाओं के लिए परिवार का भरण-पोषण करना कठिन हो गया है। स्कूल खुलने से लेकर छुट्टी तक सेवाएं देने के बावजूद उन्हें न्यूनतम वेतन तक नहीं मिल रहा। उन्होंने बताया कि यूनियन की प्रमुख मांगों में मिड-डे मील वर्कर्स को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना, हरियाणा का न्यूनतम वेतन लागू करना, पूरे 12 माह का मानदेय देना, चिकित्सा सुविधा, सवैतनिक अवकाश और सेवानिवृत्ति लाभ उपलब्ध कराना शामिल हैं। इसके अलावा प्रति 25 बच्चों पर दो रसोइयों की नियुक्ति, सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष करना, ड्रेस भत्ता बढ़ाना, रसोईघरों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करना।

IIFL FINANCE

CIN: L67100MH1995PLC093797
Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604
Tel: (91-22) 41035000 • Fax: (91-22) 25806654
E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

सोने के गहनों की नीलामी के लिए सार्वजनिक सूचना

एतद द्वारा सभी संबंधित उधारकर्ताओं को विशेषतया, और आम जनता को सामान्य रूप से सूचित किया जाता है कि हम, आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड (''आईआईएफएल'') उन डिफ़ॉल्ट ग्राहकों के सोने के गहनों की नीलामी कर रहे हैं, जिन्होंने पंजीकृत नीलामी सूचनाओं और बार-बार याद दिलाए जाने के बाद भी न तो अपने ऋण का भुगतान नियमित किया और न ही बकाया राशि का भुगतान किया । निम्नलिखित ऋण खातों में गिरवी रखे गये सोने के गहनों की सार्वजनिक नीलामी **18.08.2026** को **सुबह 10 बजे** से निम्नलिखित ज़िला केंद्र **सहारनपुर-कोर्ट रोड जीएल - 11, गिल कॉलोनी कोर्ट रोड, मुथूट फाइनेंस के नीचे, सहारनपुर -247001** पर संचालित की जायेगी। स्थान या दिनांक में किसी भी बदलाव (यदि कोई हो) नीलामी केंद्र पर प्रदर्शित किया जायेगा। अगर किसी कारण से नीलामी यहाँ दी गयी तिथि पर संपन्न न की जा सके या एक ही दिन में पूरी न हो, तो आईआईएफएल को कथित नीलामी समान नियमों व शर्तों के साथ आगे की किसी तारीख़ पर संचालित या संपन्न करने का अधिकार है। इस स्थिति में कि ग्राहक की मृत्यु हो गई है, नामांकित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी सभी नीलामी शर्तों के अधीन होगा।

गोल्ड लोन खाता. सं.: GL21583085, GL32293326, GL32310191, GL34469269, GL34479580, GL36612249, GL36893887, GL36909575, GL37765667, GL37850520, GL37873953, GL38141709, GL38278077, GL38339363, GL39174173, GL39179993, GL39194088, GL39199213, GL39297568, GL39313652, GL39408840, GL39429977, GL39494612, GL39583305, GL39614843, GL39752484, GL39770205, GL39828282, GL39845896, GL39855676, GL39856205, GL40018607, GL40032927, GL40037786, GL40074744, GL40084480, GL40329748, GL40649275, GL40675577, GL40869190, GL43523082, GL43881868, GL45442856, GL45602233, GL45743712, GL46279298, GL46834749, GL47098133, GL47468491, GL47599610, GL47963096, GL48517052, GL39050705, GL39948126, GL43830209, GL36301562, GL36316117, GL37026739, GL40016232, GL40063685, GL40086700, GL40166566, GL41971621, GL47617048.

नीलामी ''जैसा है, जहां है'', ''जैसा है जो है'' और ''जो कुछ भी है'' के आधार पर आयोजित की जाएगी और आईआईएफएल उक्त सोने के गहनों की गुणवत्ता, शुद्धता, कैरेट, वजन या मूल्यांकन के मामले में ना तो कोई प्रतिनिधित्व करता है, और ना ही कोई वॉरंटी देता है। आईआईएफएल, अपने पूर्ण विवेक से, किसी भी खाते को नीलामी सूची से और किसी भी कार्यवाही को बिना किसी पूर्व सूचना के और बगैर कोई कारण बताए या तो स्थगित कर सकता है या हटा सकता है, और बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी बोलियों या प्रस्तावों को अस्वीकार कर सकता है। डिफॉल्ट करने वाले उधारकर्ताओं गिरवी रखे गए गहनों का विवरण एवं अन्य विवरणों को संबंधित शाखा में प्रदर्शित किया गया है। इस नोटिस को प्रकाशित करने के बाद भी, डिफाल्टर उधारकर्ता के पास ब्याज और किसी भी लागू शुल्क सहित बकाया पूरी राशि चुकाने और अपने ऋण खाते को बंद करने या नियमित करने का विकल्प है। हालाँकि, यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो उनके पास नीलामी की तारीख तक का समय है, जिस समय गिरवी रखे गए सोने के गहने बेचे जाएंगे और किसी भी बकाया राशि (यदि कोई हो) को ब्याज और लागत के साथ वापस कर दिया जाएगा। हालाँकि, डिफॉल्टर ऋण, जो इस प्रकाशन के समय या उसके बाद बंद या नियमित किए जाएंगे, उन्हें आनुपातिक रूप में प्रकाशन शुल्क का वहन करना होगा। उधारकर्ताओं से अनुरोध है कि वे अपने नवीनतम बैंक खाते का विवरण दर्ज/अपडेट कराएं, ताकि उन्हें नीलामी से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त आय, यदि कोई हो, की वापसी की जा सके।

विस्तृत जानकारी, नियम व शर्तों के लिए आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड के संबंधित शाखा कार्यालय से संपर्क करें।

स्थान: सहारनपुर
दिनांक: 17.07.2026

Sd/
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड

GRIHUM HOUSING FINANCE Apna Ghar, Apni Pehchan.

गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 6वां तल, बी बिल्डिंग, गंगा ट्रुनो, लोहेगांव, पुणे, महाराष्ट्र 411014, शाखा कार्यालयः 2बी, 1617, दिल्ली रोड, महाराजा पैलेस के पास, अहमद बाग, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश- 247001

ई-नीलामी बिक्री सूचना
सुरक्षित अचल संपत्ति की बिक्री सरफैसी अधिनियम के अन्तर्गत

ई-नीलामी बिक्री सूचना सिक्योरिटाइजेशन और वित्तीय संपत्तियों के पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित अधिनियम, 2002 ('अधिनियम') के तहत सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 और 9 के साथ सार्वजनिक को और विशेष रूप से ऋणधारक/ सह-ऋणधारक/ बंधककर्ता(ओं)/गारंटर(रों) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियाँ, जो गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा बंधक रखी गई हैं, (जो कि 'सुरक्षित ऋणदाता' के रूप में अधिनियम के तहत संदर्भित किया जाता है), जिनकी कब्जा अधिकारिता सुरक्षित ऋणदाता के अधिकृत अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 13(12) के तहत सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 8 और 9 के साथ प्राप्त की गई है, और अधिनियम की धारा 13(2) के तहत नोटिस के बाद, उन्हें बेचा जाएगा। **बिक्री के विवरणः सुरक्षित संपत्तियाँ 'जैसा है जहाँ है', 'जैसा है जैसा है', और 'जो कुछ है वही है' के आधार पर 18.08.2026 को ई-नीलामी के माध्यम से बेची जाएँगी। यह सार्वजनिक को सूचित किया जाता है कि बिक्री https://www.bankeauctions.com. वेबसाइट पर प्रदान किए गए ई-नीलामी प्लेटफार्म के माध्यम से की जाएगी। बिक्री के विस्तृत शर्तों और नियमों के लिए, कृपया GHFL के/सुरक्षित ऋणदाता की वेबसाइट पर दिए गए लिंक का संदर्भ लें: www.grihumhousing.com.**

क्र. सं.	प्रस्ताव संख्या ग्राहक का नाम [ए]	मांग सूचना की तिथि एवं बकाया राशि [बी]	कब्जे का प्रकार [सी]	सम्पत्ति का विवरण [डी]	आरक्षित मूल्य [ई]	ईएमडी (आरक्षित मूल्य का 10%) [एफ]	ईएमडी प्रस्तुत करने की तिथि [जी]	वृद्धि बोली [ए]	सम्पत्ति निरीक्षण की तिथि एवं समय [आई]	नीलामी की तिथि और समय [जे]	ज्ञात बंधन/कोर्ट मामले यदि कोई हों [के]
1.	**ऋण संख्याः LAP0540200000005 028033 गुलजार अली खान (ऋणधारक) सबनूर पत्नी गुलजार (सह-ऋणधारक)**	**सूचना तिथिः 09.04.2025 कुल बकायाः रू. 6,22,088/-** (रुपये छह लाख बाईस हजार अठासी मात्र), जो दिनांक 09.04. 2025 तक देय है। उक्त राशि पर 18.35% प्रतिवर्ष की दर से, वसूली/पूर्ण भुगतान होने तक ब्याज भी देय होगा।	**भौतिक**	मकान का समस्त वह भाग एवं खण्ड, जो प्लॉट संख्या 57 एवं 58 के आंशिक भाग पर निर्मित है तथा जिसका क्षेत्रफल 60 वर्ग यार्ड्स है। उक्त सम्पत्ति खसरा संख्या 799 मिनजुमला, स्थित दारा कोटला स्वाद बैरून, आबादी राशिद नगर कॉलोनी, परगना, तहसील एवं जिला सहारनपुर से सम्बन्धित है। सम्पत्ति की चौहद्दी निम्न प्रकार हैं:- पूर्वः प्लॉट का शेष भाग, क्षेत्रफल 50 वर्ग यार्ड्स, पश्चिमः श्री अखलाक का प्लॉट, उत्तरः 15 फीट चौड़ा रास्ता, दक्षिणः अन्य व्यक्ति का प्लॉट।	**रु. 8,97,750/-** (रुपये आठ लाख सत्तानवे हजार सात सौ पचास मात्र)	**रु. 89,775/-** (रुपये नवासी हजार सात सौ पचहत्तर मात्र)	**17.08. 2026 को सायं 5 बजे से पहले**	10,000/-	**10.08. 2026 को (प्रातः 11 बजे से सायं 4 बजे तक)**	**18.08. 2026 को (प्रातः 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक)**	शून्य
2.	**ऋण संख्याः HL0054010000000 5007364 गुलसनव्वर (ऋणधारक) आसमा (सह-ऋणधारक)**	**सूचना तिथिः 08.08.2025 कुल बकायाः रू. 14,21,275/-** (रुपये चौदह लाख इक्कीस हजार दो सौ पचहत्तर मात्र), जो दिनांक 08-08-2025 तक देय है। उक्त राशि पर 15.1% प्रतिवर्ष की दर से पूर्ण वसूली होने तक ब्याज भी देय होगा।	**भौतिक**	समस्त वह भूखण्ड एवं उसका भाग, जो प्लॉट संख्या 119 एवं 122 का आंशिक हिस्सा है तथा जिसका क्षेत्रफल 64.16 वर्ग यार्ड्स है। उक्त सम्पत्ति खसरा संख्या 584/4, स्थित दारा कोटला स्वाद बैरून, आबादी साबरी कॉलोनी, सहारनपुर से संबंधित है। सम्पत्ति की चौहद्दी निम्नलिखित हैं:- पूर्वः प्लॉट संख्या 119 का भाग। पश्चिमः प्लॉट संख्या 119 का भाग। उत्तरः अन्य व्यक्ति की भूमि। दक्षिणः 18 फीट चौड़ा रास्ता।	**रु. 12,92,319/-** (रुपये बारह लाख बानवे हजार तीन सौ उन्नीस मात्र)	**रू. 1,29,231.90/-** (रुपये एक लाख उनतीस हजार दो सौ इकतीस एवं नब्बे पैसे मात्र)	**17.08. 2026 को सायं 5 बजे से पहले**	10,000/-	**10.08. 2026 को (प्रातः 11 बजे से सायं 4 बजे तक)**	**18.08. 2026 को (प्रातः 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक)**	शून्य
3.	**ऋण संख्याः HL00540100000050 53770 एवं HL0054010000000 5017417 नूर हसन (ऋणधारक) सलमा पुत्री मुरसलीन (सह-ऋणधारक)**	**सूचना तिथिः 08.08.2025 कुल बकायाः रू. 8,59,177/-** (रुपये आठ लाख उनसठ हजार एक सौ सतहत्तर मात्र), जिसमें ऋण **खाता संख्या HL00540100000005053770 में रू. 2,01,963/- तथा ऋण खाता संख्या HL00540100000005017417 में रू. 6,57,214/- की बकाया राशि सम्मिलित है। यह राशि दिनांक 08.08.2025 तक देय है तथा उक्त दोनों ऋण खातों पर क्रमशः 16.6% एवं 15.85% प्रतिवर्ष की दर से पूर्ण वसूली होने तक ब्याज भी देय होगा।**	**भौतिक**	समस्त वह भूखण्ड एवं उसका भाग, जो प्लॉट संख्या 87 का आंशिक हिस्सा है तथा जिसका क्षेत्रफल 67.70 वर्ग यार्ड्स है। उक्त सम्पत्ति खसरा संख्या 512, स्थित मौजा मानकमऊ, आबादी नूर नगर कॉलोनी, सहारनपुर से सम्बन्धित है। सम्पत्ति की चौहद्दी निम्नलिखित हैं:- पूर्वः प्लॉट संख्या 87 का भाग। पश्चिमः यूनुस का प्लॉट संख्या 86। उत्तरः 15 फीट चौड़ा रास्ता। दक्षिणः प्लॉट संख्या 80 ।	**रु. 11,44,159/-** (रुपये ग्यारह लाख चवालीस हजार एक सौ उनसठ मात्र)	**रू. 1,14,415.90/-** (रुपये एक लाख चौदह हजार चार सौ पंद्रह एवं नब्बे पैसे मात्र)	**17.08. 2026 को सायं 5 बजे से पहले**	10,000/-	**10.08. 2026 को (प्रातः 11 बजे से सायं 4 बजे तक)**	**18.08. 2026 को (प्रातः 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक)**	शून्य

इच्छुक बोलीदाता/खरीदारों को सूचित किया जाता है कि वे सुरक्षित ऋणदाता शाखा और नीलामी संपत्तियों का दौरा करें, और अपनी जांच स्वयं करें तथा अतिरिक्त शुल्क, बकाया राशि, और किसी भी तीसरे पक्ष के हितों को स्पष्ट कर लें। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे नीलामी प्रक्रिया से पहले इन सभी पहलुओं से संतुष्ट हैं। संपत्ति से संबंधित सभी कानूनी देनदारियाँ जैसे संपत्ति कर, बिजली/पानी के बिल और अन्य बकाया राशि, यदि कोई हो, को सफल बोलीदाता द्वारा अदा किया जाएगा।

नीलामी प्रक्रिया के लिए आवश्यक पंजीकरणः इच्छुक बोलीदाता को पंजीकरण पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य है और इसके लिए वे लॉगिन आईडी और पासवर्ड एडवांस में प्राप्त करेंगे, जो ई-नीलामी में भाग लेने के लिए आवश्यक है। पंजीकरण करने के लिए बोलीदाता को नीलामी सेवा प्रदाता C1 India Pvt Ltd से संपर्क करना होगा। सेवा प्रदाता का संपर्क विवरणः पताः प्लॉट नं 68, तीसरी मंजिल, गुड़गांव, हरियाणा-122003, हेल्पलाइन नंबरः 7291981124, 25, 26, ईमेलः Support@bankeauctions.com **सम्पर्क व्यक्तिः धरणी पी, ईमेलः dharani.p@c1india.com सम्पर्क नम्बरः 9948182222** । कृपया ध्यान दें कि संभावित बोलीदाता केवल उन्हीं से ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इच्छुक क्रेता/बोलीदाता को **Earnest Money Deposit (EMD)** की राशि NEFT/RTGS/DD के माध्यम से **"GRIHUM HOUSING FINANCE LIMITED & AUCTION PROCEEDS A/C"**, बैंक **ICICI BANK LTD** में जमा करनी होगी। खाता संख्याः 091501000028 IFSC कोडः ICIC0000915 शाखाः ICICI Bank Ltd, पंचशील टेक पार्क, नियर गणपति चौक, 43/44 विमान नगर- 411014 यह राशि किसी भी राष्ट्रीयकृत या अनुसूचित बैंक से **17.08.2026** तक जमा करनी होगी और बोलीदाता को **https//www.bankeauctions.com** पर अपना नाम पंजीकृत करना होगा, निःशुल्क यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करना होगा तथा सेवा प्रदाता से ई-नीलामी का प्रशिक्षण भी प्राप्त करना होगा। पंजीकरण के बाद, बोलीदाता को निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रति अपलोड करनी होगी और स्वयं प्रमाणित हार्ड कॉपी को निम्नलिखित पते पर भेजना होगाः **पताः 2B, 1617, दिल्ली रोड, महाराजा पैलेस के पास, अहमद बाग, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश- 247001, मोबाइल नं.: +91 8281138143 ई-मेल आईडीः p.adith@grihumhousing.com, अधिक जानकारी के लिएः नीलामी के शर्तों और नियमों के लिए, कृपया निम्नलिखित वेबसाइट पर जाएंः https://www.bankeauctions.com एवं www.grihumhousing.com पर जाएं और ई-नीलामी में भाग लें।**

यह सूचना 30 दिन (तीस) का नोटिस के रूप में माना जाए, जैसा कि सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम-2002 के नियम 8(6) के तहत ऋणधारक/ सह-ऋणधारक/ बंधककर्ता(ओं)/गारंटर(रों) को दिया गया है।
यदि किसी भी स्थिति में स्थानीय भाषा के प्रकाशन और अंग्रेजी समाचारपत्र के प्रकाशन की सामग्री में कोई अंतर होता है, तो The Hawk में प्रकाशित अंग्रेजी समाचारपत्र की सामग्री को मान्य माना जाएगा।

तिथिः 17.07.2026 स्थानः सहारनपुर

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी, गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड